

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक २६/०४/२००८

क्रमांक एफ १-५१/२००८/२०-१ :: इस विभाग के आदेश क्र. एफ १-१०/२००५/२०-१ दिनांक ०९.०७.२००७ द्वारा महिला विकलांग एवं परस्पर शिक्षाकर्मियों का अंतर्निकाय संविलियन करने संबंधी पूर्व आदेश दिनांक ०८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था। अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि महिला विकलांग एवं परस्पर शिक्षाकर्मियों का अंतर्निकाय संविलियन व्यवस्था पूर्ववत् अध्यापक संवर्ग में जारी रखी जाए।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


पृष्ठा. एफ १-५१/२००८/२०-१

भोपाल, दिनांक २६/०४/२००८

प्रतिलिपि:-

१. निज सहायक मान. मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग।
२. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
३. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
४. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
५. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
६. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, म.प्र. भोपाल।
७. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
८. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
९. समस्त आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.।
१०. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, म.प्र.।
११. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
१२. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र.।
१३. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, म.प्र.।
१४. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग